<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>05/05/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और आशीष भल्ला की अध्यक्षता वाले डब्ल्यूटीसी समूह की अन्य संस्थाओं से जुड़े एक बड़े रियल एस्टेट धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 2,348 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में लगभग 159 एकड़ लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाली जमीन, दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में बिना बिकी रियल एस्टेट इन्वेंट्री, साथ ही गोवा में आवासीय संपत्तियां और दिल्ली-एनसीआर में वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं।

ईडी ने फरीदाबाद पुलिस, दिल्ली ईओडब्ल्यू और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भादस, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित अपराधों से संबंधित 30 से अधिक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि भल्ला और उनकी समूह कंपनियों ने डब्ल्यूटीसी ब्रांड के तहत प्लॉट और वाणिज्यिक स्थानों में निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न का वादा करके एक सुनियोजित योजना के तहत 12,000 से अधिक निवेशकों को ठगा था। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ सहित कई राज्यों के निवेशकों से 2,700 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए गए थे। हालांकि, इन फंडों का एक बड़ा हिस्सा आशीष भल्ला द्वारा डायवर्ट और गबन कर लिया गया और कभी भी रियल एस्टेट विकास के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, एक बड़ी राशि अवैध रूप से सिंगापुर स्थित संस्थाओं को हस्तांतरित की गई, जिनका लाभकारी स्वामित्व भल्ला के करीबी पारिवारिक सदस्यों के पास है।

ईडी ने 27/02/2024 को तलाशी अभियान चलाया, जिसके दौरान आशीष भल्ला फरार हो गया और उसने मुख्य गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया। जांच में बाधा डालने और सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए उसे बाद में 6/03/2025 को गिरफ्तार किया गया। कुर्क की गई संपत्तियों की पहचान सीधे अपराध के आगमों के रूप में की गई है।

आगे की जांच जारी है।

<u>कुर्कियाँ दिखाने वाली तस्वीरें</u>